

प्रेस नोट

थाना उल्दन-जनपद झाँसी

दिनांक 18.12.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.12.2025 को थाना उल्दन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता अभियुक्ता श्रीमती कमलेश पत्नी श्री रामस्वामी निरो प्रतापपुरा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 हाल निरो कबूतरा डेरा सेकरा थाना उल्दन जिला झाँसी उम्र 49 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्ता का विवरण:- श्रीमती कमलेश पत्नी श्री रामस्वामी निरो प्रतापपुरा थाना ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 हाल निरो कबूतरा डेरा सेकरा थाना उल्दन जिला झाँसी उम्र 49 वर्ष

बरामदी:- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. उनिरो श्री गोकुल सिंह थाना उल्दन जिला झाँसी
2. म0का01598 सोनम पाल थाना उल्दन जनपद झाँसी
3. है0का0 521 संजीव कुमार थाना उल्दन जनपद झाँसी।